अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड़) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(36) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(37) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(38) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(39) अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(40) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(41) अभ्यर्थी प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(42) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-Sd-
(जी0 एस0 रावत)
सचिव

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा–2023 हेतु प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन राज्य के 14 नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करें। नगरों की सूची इस प्रकार है–

S.No.	CITY	CITY CODE
1.	Almora	**01**
2.	Bageshwar	**02**
3.	Champawat	**03**
4.	Haldwani	**04**
5.	Khatima	**05**
6.	Rudrapur	**06**
7.	Pithoragarh	**07**
8.	Dehradun	**08**
9.	Gopeshwar	**09**
10.	Haridwar	**10**
11.	New Tehri	**11**
12.	Rudraprayag	**12**
13.	Srinagar	**13**
14.	Uttarkashi	**14**

नोट 1:– आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा मे अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते है। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जायेगा।

परिशिष्ट–2

परीक्षा योजना:–प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं यथा (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) (परम्परागत प्रकार की) (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)।

टिप्पणी:– प्रारम्भिक परीक्षा आवेदकों की संख्या विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होने की स्थिति में ही आयोग के निर्णय के अनुसार आयोजित होगी। इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा व साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़े जायेंगे।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्र होगा जिनके उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0 शीट के रूप में होंगे। प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित समय तीन घण्टे है। प्रश्न–पत्र में भाग– एक सामान्य ज्ञान हेतु 50 अंक तथा भाग– दो विधि हेतु 150 अंक नियत है। पाठ्यक्रम निम्नवत् है:–

भाग–1 :– सामान्य ज्ञान :– भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन–प्रतिदिन की घटनायें सम्मिलित की जायेगी। प्रश्न मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यही तक ही सीमित नहीं होंगे।

भाग–2 :– इसमें निम्नलिखित अधिनियम एवं विधियां सम्मिलित होगी :– सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, हिन्दू विधि के सिद्धान्त व मुस्लिम विधि के सिद्धान्त, साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, सिविल (दीवानी) प्रक्रिया संहिता।

(2) मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे तथा प्रत्येक विषय के कुल अंक उसके सम्मुख दर्शाये गये हैं :–

1.	वर्तमान परिदृश्य (Present Day)	150	अंक
2.	भाषा (Language)	100	अंक
3.	विधि प्रश्न पत्र–। (मुख्य विधि) (Substantive Law)	200	अंक
4.	विधि प्रश्न पत्र–।। (प्रक्रिया और साक्ष्य) (Evidence and Procedure)	200	अंक
5.	विधि प्रश्न पत्र–।।। (राजस्व और दाण्डिक) (Revenue and Criminal)	200	अंक
6.	For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination	100	अंक
7.	व्यक्तित्व परीक्षा (VIVA VOCE)	100	अंक

मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम निम्नवत् है :–

1. **वर्तमान परिदृश्य :–** यह प्रश्न पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यतया विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे।

2. **भाषा :–** अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जायेगा और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसका अनुवाद न्यायालयों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में करें।

..... 30 अंक

उसी प्रकार हिन्दी के एक प्रस्तर की सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की अपेक्षा की जायेगी। **..... 30 अंक**

साथ ही साथ एक अंग्रेजी लेखन (English Precis Writing) की भी परीक्षा होगी।

. **..... 40 अंक**

3. **विधि प्रश्न पत्र–I (मुख्य विधि) :–** संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाचार और अपकृत्य विधि से सम्बन्धित विधि, सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित, जिसमें साम्य का सिद्धान्त भी सम्मिलित है, साम्य का सिद्धान्त न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि के विशेष संदर्भ तक प्रश्न पत्र सीमित होगा।

4. **विधि प्रश्न पत्र– II (प्रक्रिया और साक्ष्य) :–** इसमें साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता,जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित है, का क्षेत्र समाहित होगा। प्रश्न पत्र में मुख्यतया व्यावहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना और मामलों को सामान्यतया व्यवहृत करना आदि होगा परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा।

5. **विधि प्रश्न पत्र– III (राजस्व और दाण्डिक) :–** उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है) तथा भारतीय दण्ड संहिता।
टिप्पणी :– अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वह विधि के समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।